न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 29/2012

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
सीताराम पुत्र पोसाजी जाति घांची निवासी पिण्डवाडा		1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा 2 जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री एस0डी0 सुराणा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
श्री पी0के0 शाह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27/2/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2007 बअनवान सीताराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पिण्डवाडा के राजीय तहसील भवन के पीछे खसरा नम्बर 3023 रकबा 2 बीघा भूमि पर अपीलाण्ट गत 32 वर्षो से काबिज काश्त है। अपीलाण्ट का कब्जा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित होता है। इस कारण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर उक्त भूमि की खातेदारी अपीलाण्ट के पक्ष में घोषित कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई, वे वादी/अपीलाण्ट के दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित होती थी तथा रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अपीलाण्ट के साक्ष्यों का कोई खण्डन भी नहीं किया गया था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकीयात अपीलाण्ट/वादी के विरूद्ध गलत रूप से विनिश्चित की है। जैर अपील वादस्थ भूमि 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

बीघा की थी, जिसमें से एक बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटन की जा चुकी है तथा उक्त आवंटन आदेश की अपीलाण्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। इसके पश्चात भी शेष 1 बीघा भूमि की खातेदारी घोषित कराने हेतु अपीलाण्ट अधिकारी था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का विवेचन किए बिना ही तनकीयात विनिश्चय किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री अपास्त कराते हुए अपीलाण्ट को वादस्थ भूमि का खातेदार घोषित करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा था, चूंकि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी दर्ज थी तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान करने को विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरूद्ध माना है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के जरिये वादी का वाद खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि बिलानाम सरकारी भूमि है। सरकार अपनी भूमि को किसी को भी आवंटन कर सकती है। वादी उक्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज था तथा अतिक्रमी को खातेदारी घोषणा का दावा प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित करने का अमान्य घोषित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उक्त भूमि विधिवत आवंटन हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनन प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा मौजा पिण्डवाडा के खसरा नम्बर 3023 रकबा 2 बीघा भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा तथा अपने कथनों के समर्थन में विभिन्न स्तरों पर प्रेषित धारा 80 सी0पी0सी0 के नोटिस की प्राप्ति रसीद की प्रतियां, खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त वाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य परीक्षित करवाये। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की, वे इस प्रकार है –

1. आया वादी खसरा नम्बर 3023 रकबा 2 बीघा वाके पिण्डवाडा पर प्रतिकूल कब्जे से काबिज काश्त है एवं अपने हक में उक्त भूमि की खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है ? जिम्मे वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प सिरोही

2. आया वादी विवादित कृषि भूमि अपने कब्जे में दखल रोकने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?
जिम्मे वादी

3. आया विवादित कृषि भूमि में से एक बीघा भूमि का आवंटन प्रतिवादी चिकित्सा विभाग के नाम हो जाने से उक्त भूमि की घोषणा खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ? जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

4. आया विवादित कृषि भूमि नगरपालिका सीमा में स्थित है, जिससे वादी उक्त भूमि का आवंटन, नियमन व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ? जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2

5. आया प्रतिवादी संख्या 2 चिकित्सा विभाग का विवादित भूमि पर निर्माण व कब्जा है। वादी के कब्जेक में नहीं होने से वाद चलने योग्य नहीं है ?
जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2

6. अनुतोष ?

वादी द्वारा उपरोक्त तनकीयात को अपने पक्ष में सिद्ध करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से प्रदर्श–12 प्रस्तुत किए तथा मुख्य परीक्षण में स्वयं वादी सीताराम पुत्र पोसाजी, गवाह पी0डब्ल्यू0 2 मूपाराम पुत्र पोसाजी, गवाह पी0डब्ल्यू0 3 थाना पुत्र सोमाजी, गवाह पी0डब्ल्यू0 4 सोमाराम पुत्र केसाजी, गवाह पी0डब्ल्यू0 5 धनाराम पुत्र पोसाजी, गवाह पी0डब्ल्यू0 6 कीकीबेन पत्नी गोविन्दराम, गवाह पी0डब्ल्यू0 7 केसा पुत्र लालाजी, गवाह पी0डब्ल्यू0 8 सोमा पुत्र नाथाजी तथा गवाह पी0डब्ल्यू0 9 शंकर पुत्र भूबाजी परीक्षित हुए। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से गवाह डी0डब्ल्यू01 डॉ0 चौथाराम मुख्य परीक्षण में परीक्षित हुए। वादी/अपीलाण्ट द्वारा अपने वाद के समर्थन में जो गवाह प्रस्तुत किये, उनके शपथ पत्रों में वर्णित तथ्यों एवं प्रतिपरीक्षा में कहे गए तथ्यों में भिन्नता होने के कारण वादस्थ भूमि पर वादी/अपीलाण्ट का लगातार कब्जा सिद्ध नहीं होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को वादी के विरूद्ध विनिश्चित किया है। आर0आर0डी0 1987 पेज 54 में माननीय मण्डल की वृहदपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अतिक्रमी के रूप में किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो आवंटन सलाहकार समिति नियमानुसार भूमिहीन व्यक्ति को वह भूमि आवंटन कर सकती है और अतिक्रमी का कब्जा होते हुए भी भूमि अधिरित (unoccupied) ही समझी जावेगी। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प सिरोही

लगातार ही क्यों न हो। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की है। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य तनकीयात भी तनकी संख्या 1 के विनिश्चय पर आधारित होने से अपीलाण्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2007 बअनवान सीताराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2012 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/2/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही